कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नोएडा।

पत्राँकः 4275/35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनाँक 19 जनवरी, 2024।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित.अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–630/2023, आनन्द आर्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.11.2023।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–630/2023, आनन्द आर्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 20.11.2023 के अनुपालन में स्टे्टस रिपोर्ट संलग्नकों सहित आपकी सेवा में प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया स्टे्टस रिपोर्ट को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अग्रेत्तर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक / , दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्रधिकरण, लखनऊ।
3. श्री भंवरपाल सिंह जादौन, एडवोकेट, 121, न्यू लॉयर चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक / , दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

Status report in O.A. No. 630/2023 Anand Arya V/s Union of India & Ors. in compliance of order dated 20.11.2023 Submitted by Divisional Forest Officer, Gautambudh nagar.

महोदय,

जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा के स्वामित्व एवं अधिसूचित क्षेत्र में स्थित धनौरी आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर साईट घोषित करने की कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर (प्रतिवादी संख्या–8) द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या F.No 6-22012/23/2014-CS(W) दिनॉक 28/29–5–2019 के अनुपालन में आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्धन) नियम 2017 में विर्निष्ट नियमों का अनुपालन करते हुये धनौरी आद्रभूमि को रामसर स्थल घोषित करने हेतु प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ प्रेषित किया गया हैं। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांकित 20–11–2023 को प्रतिवादी द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट मय संलग्नको सहित प्रस्तुत की गयी थी। तत्क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई की नियत दिनांकित 22–01–2024 को धनौरी आर्द्रभूमि को रामसर साईट घोषित किये जाने की वर्तमान स्थिति की स्टेटस रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के अनुपालन में स्टेटस रिपोर्ट निम्नवत है:–

1. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20–11–2023 के अनुपालन में धनौरी वेटलैण्ड का मैप/नेशनल वेटलैण्ड इनवेन्टरी एण्ड असिसमेन्ट संलग्न है **(संलग्नक–1)**, जिसे प्रतिवादी के कार्यालय के पत्र सं0–2418/35–1, दिनांक 02–12–2023 **(संलग्नक–2)** एवं प्रतिवादी के कार्यालय के पत्र सं0–3052/35–1, दिनांक 08–01–2024 **(संलग्नक–3)** द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया है कि वेटलैण्ड का क्षेत्रफल राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची एवं मुल्यांकन/मैप में दर्ज वेटलैण्ड का एरिया 97.97 हेक्टेयर के अनुसार संशोधित कराने का कष्ट करें ताकि मा0 न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण कराया जा सके, परन्तु उक्त रिपोर्ट वर्तमान तक प्रतिवादी को अप्राप्त

है। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा द्वारा अपना पक्ष सीधे मा0 न्यायालय में रखना हैं।

प्रतिवादी द्वारा सक्षम स्तर को भेजे गये पत्रों के आलोक में सदस्य सचिव (उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ) द्वारा कार्यालय पत्रांक–85/A/26–11(UPSWA)–27 /2019, दिनांक 20–10–2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित है तथा प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ तथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद गौतमबुद्धनगर को पृष्ठांकित है, जिसमें धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि.......

- वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराये जाने की स्थिति में यह भी निर्णय लिया जाना होगा कि किस विभाग/स्टेकहोल्डर द्वारा इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जायेगी। उचित होगा कि प्रश्नगतं प्रकरण में धनौरी वेटलैण्ड में यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्टेकहोल्डर के रूप में महत्तम भूमि सम्मिलित है। अतः धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग के रूप में नामित करने पर विचार किया जा सकता है।
- तदोपरान्त धनौरी वेटलैण्ड के समेकित प्रबन्धन के लिये राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग/यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित ग्राम सभाओं/ समस्त स्टेकहोल्डर्स के साथ प्रस्तावक विभाग के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कराकर बैठक में लिये गये निर्णय की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत एवं समीचीन होगा।

अतः रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा RSIS को Compile कराकर रामसर प्रस्ताव अपलोड करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वेटलैण्ट डिवीज़न, भारत सरकार से प्रस्तावक विभाग को ऑनलाइन अकाउण्ट खोलंने हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड निर्गत करने की कार्यवाही हो सके। उक्त कार्यवाही शासन, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ, मुख्य

कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद गौतमबुद्धनगर के स्तर पर प्रचलित है।

तदोपरांत उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1309/81–4–2023 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, लखनऊ दिनांक 30–11–2023 **(संलग्न–4)** जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एंव मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ को सम्बोधित है, में उल्लेख किया गया है कि... महायोजना 2031 के अनुसार धनौरी वेटलैण्ड का क्षेत्रफल 16.89 है0 तथा इस वेटलैण्ड के चारो ओर लगभग 38.80 हे0 क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में नियोजित है। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–16 के आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डो का नियोजन कर स्कीम के माध्यम से भूखण्डो का आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित किये जाने के कथित प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शायी गयी धनौरी वेटलैण्ड की बाउण्ड्री को प्राधिकरण के सेक्टर–16 के ले आउट से टेंटेटिव सुपर इम्पोज करने पर यह तथ्य सामने कि प्रस्तावित धनौरी वेटलैण्ड की बाउण्ड्री से सेक्टर–16 में नियोजित व आवंटित उपरोक्त आवासीय भूखण्ड प्रभावित हो रहे है, जिस कारण उक्त स्थल को रामसर साईट हेतु दर्शित बाउण्ड्री के संबंध में अनापत्ति प्रदान नही की जा सकती। उक्त के अतिरिक्त धनौरी वेटलैण्ड से संबंधित प्रकरण 630/2023 आनंद आर्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष विचाराधीन है।

संलग्नकः यथोपरि

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

सलग्नक - 01 व 02

dfonoida@gmail.com

ई–मेल के माध्यम से

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नौएडा।

पत्रांक: 2418 /35–1, दिनॉक गौतमबुद्धनगर 02 –12–2023।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएड़ा

विषयः– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 630/2023 श्री आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली का पारित आदेश दिनॉक 20–11–2023।

महोदय,

कृपया उक्त आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा धनौरी वैटलेण्ड क्षेत्रफल पर आपत्ति की गयी है, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची एवं मूल्यांकन (national wetland inventory and assessment) के बिन्दु संख्या 17173 एवं 17174 पर दर्ज वैटलेण्ड क्षेत्र का एरिया 97.97 हैक्टेयर आ रहा है।

तदनुसार इसको संशोधित करने के लिए सम्बन्धितों को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण कराया जा सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 2418 /दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय, वन्य जीव उ0प्र0लखनऊ।

2:– मुख्य वन संरक्षक ईको विकास/सदस्य सचिव उ0प्र0राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ।

3:– श्री भवरपाल सिंह जादोन एड़वोकेट, 121 न्यू लायर चैम्बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 2418 /दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– मुख्य वन संरक्षक कोर्ट केस उ0प्र0लखनऊ।

2:– मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0मेरठ।

3:– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

संलग्नक - 01|02

NATIONAL WETLAND INVENTORY AND ASSESSMENT

The National level wetland inventory was carried out by SAC, Ahmedabad using multi-date IRS-LISS-III Data of 2006-07 timeframe on 1:50,000 scale under project "National Wetland Inventory and Assessment (NWIA)" funded by MoEF&CC. The mapping was carried in collaboration with State Remote Sensing Applications Centres and Academic Institutes.

The country level geodatabase of NWIA06-07 has been hosted on SAC web portal (http://www.vedas.sac.gov.in) for viewing purpose. Wetland atlases (.pdf format) are also hosted on the web portal.

The inventory of wetlands (State-wise/sorted on State code), State code and description are given below. The total wetlands (>2.25 ha) are 2,01,503 including rivers/streams. This list comprise details of 1,75,740 wetlands. Rivers/streams (~25,763 polygons) are not included in the list.

The State code of wetlands at S.No. 175739 and 175740 shall be read as 05 instead of 53.

संलग्नक - 01/03

NWIA : State codes used for GIS database creation

State-code	Name of State/UT*
01	Jammu & Kashmir
02	Himachal Pradesh
03	Punjab
04	Chandigarh *
05	Uttaranchal
06	Haryana
07	Delhi *
08	Rajasthan
09	Uttar Pradesh
10	Bihar
11	Sikkim
12	Arunachal Pradesh
13	Nagaland
14	Manipur
15	Mizoram
16	Tripura
17	Meghalaya
18	Assam
19	West Bengal
20	Jharkhand
21	Orissa
22	Chhatisgarh
23	Madhya Pradesh
24	Gujarat
25	Daman & Diu *
26	Dadra & Nagar Haveli *
27	Maharashtra
28	Andhra Pradesh
29	Karnataka
30	Goa
31	Lakshadweep *
32	Kerala
33	Tamil Nadu
34	Pondicherry *
35	Andaman & Nicobar Islands *

Note: * Signifies union territories

संलग्नक - 01/04

17146	77.65113	28.52672	1202	Inland - Man-made - Tank/Pond	3.00	0910015308100084		N	M
17147	77.59027	28.61456	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	6.58	0910015308100090		N	M
17148	77.59451	28.61195	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	2.36	0910015308100092		N	M
17149	77.62957	28.57556	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	12.98	0910015308100098		N	M
17150	77.60956	28.58192	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	3.81	0910015308100100		N	M
17151	77.60511	28.58502	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	2.68	0910015308100101		N	M
17152	77.61189	28.58171	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	3.21	0910015308100102		N	M
17153	77.65434	28.57437	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	6.65	0910015308100105		Y	M
17154	77.65140	28.56663	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	4.97	0910015308100106		N	M
17155	77.67644	28.52215	1202	Inland - Man-made - Tank/Pond	4.38	0910015308100107		N	M
17156	77.58602	28.49805	1105	Inland - Natural - Waterlogged	53.25	0910015308110002		Y	M
17157	77.63483	28.49122	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	6.06	0910015308110003		N	M
17158	77.62434	28.49581	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	2.48	0910015308110004		N	M
17159	77.60792	28.48127	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	14.19	0910015308110005		N	M
17160	77.60567	28.47227	1202	Inland - Man-made - Tank/Pond	3.27	0910015308110006		N	M
17161	77.60110	28.44777	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	5.42	0910015308110010		N	M
17162	77.61214	28.46495	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	12.28	0910015308110011		Y	M
17163	77.59828	28.49871	1105	Inland - Natural - Waterlogged	4.22	0910015308110047		N	M
17164	77.47884	28.50831	1202	Inland - Man-made - Tank/Pond	20.29	0910025308060326		Y	M
17165	77.47966	28.52538	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	2.29	0910025308060384		Y	M
17166	77.40135	28.68399	1104	Inland - Natural - Riverine Wetland	29.65	0910025308060410		Y	M
17167	77.49519	28.49112	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	13.29	0910025308070021		N	M
17168	77.51505	28.48315	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	6.67	0910025308110007		N	M
17169	77.51055	28.44872	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	5.11	0910025308110008		N	M
17170	77.51613	28.46580	1201	Inland - Man-made - Reservoir/Barrage	70.09	0910025308110009		Y	M
17171	77.64022	28.45695	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	5.95	0910025308110012		Y	M
17172	77.62543	28.41290	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	3.80	0910025308110019		N	M
17173	77.61808	28.33709	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	74.21	0910025308110021		Y	M
17174	77.61217	28.33715	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	23.76	0910025308110022		Y	M
17175	77.62148	28.33208	1105	Inland - Natural - Waterlogged	4.89	0910025308110023		Y	M
17176	77.63051	28.33964	1105	Inland - Natural - Waterlogged	2.68	0910025308110024		N	M
17177	77.62796	28.33428	1105	Inland - Natural - Waterlogged	3.57	0910025308110025		Y	M
17178	77.60572	28.33407	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	2.97	0910025308110026		N	M
17179	77.60493	28.32832	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	5.18	0910025308110028		Y	M
17180	77.60130	28.32311	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	6.92	0910025308110029		N	M
17181	77.61549	28.31218	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	5.51	0910025308110030		Y	M
17182	77.62586	28.30604	1105	Inland - Natural - Waterlogged	5.64	0910025308110031		Y	M
17183	77.62060	28.30433	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	2.73	0910025308110032		N	M
17184	77.63421	28.30647	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	4.87	0910025308110034		Y	M
17185	77.63402	28.32100	1105	Inland - Natural - Waterlogged	3.89	0910025308110035		N	M
17186	77.65175	28.30823	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	11.14	0910025308110036		N	M
17187	77.65691	28.31512	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	5.88	0910025308110037		N	M
17188	77.58317	28.28074	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	3.36	0910025308110044		Y	M
17189	77.50648	28.30192	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	23.81	0910025308110045		N	M
17190	77.51147	28.38561	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	9.43	0910025308110048		N	L
17191	77.50866	28.37796	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	7.93	0910025308110049		N	L
17192	77.54261	28.26239	1102	Inland - Natural - Ox-bow Lake / Cut-off meanders	17.32	0910025308110053		N	M
17193	77.63456	28.41551	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	7.36	0910025308110199		N	M
17194	77.63058	28.41999	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	4.56	0910025308110200		Y	M
17195	77.62238	28.45142	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	5.37	0910025308110237		N	M
17196	77.62853	28.58002	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	4.02	0910035308100099		N	M
17197	77.58662	28.25887	1105	Inland - Natural - Waterlogged	10.56	0910035308110038		Y	M
17198	77.67108	28.25347	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	8.29	0910035308110039		Y	M
17199	77.68470	28.26151	1203	Inland - Man-made - Waterlogged	2.54	0910035308110040		N	M
17200	77.53732	28.24750	1102	Inland - Natural - Ox-bow Lake / Cut-off meanders	7.20	0910035308120002		N	M
17201	77.53949	28.23423	1102	Inland - Natural - Ox-bow Lake / Cut-off meanders	10.32	0910035308120002		N	M
17202	77.52520	28.18823	1102	Inland - Natural - Ox-bow Lake / Cut-off meanders	41.60	0910035308120003		N	M
17203	77.50999	28.16170	1102	Inland - Natural - Ox-bow Lake / Cut-off meanders	13.15	0910035308120003		N	M
17204	77.50332	28.15141	1102	Inland - Natural - Ox-bow Lake / Cut-off meanders	2.85	0910035308120003		N	M
17205	77.72349	28.20643	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	7.89	0910035308120004		N	L
17206	77.60453	28.13663	1202	Inland - Man-made - Tank/Pond	5.01	0910035308120015		Y	M
17207	77.60941	28.13230	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	17.58	0910035308120016		N	L
17208	77.60606	28.14111	1202	Inland - Man-made - Tank/Pond	6.02	0910035308120017		Y	L
17209	77.60231	28.15560	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	14.93	0910035308120018		Y	M
17210	77.59413	28.15338	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	9.63	0910035308120019		N	L
17211	77.58587	28.14657	1202	Inland - Man-made - Tank/Pond	3.76	0910035308120021		Y	M
17212	77.58270	28.17236	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	36.89	0910035308120022		Y	L
17213	77.59542	28.16699	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	35.91	0910035308120023		Y	M
17214	77.58093	28.16244	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	8.21	0910035308120024		Y	L
17215	77.57941	28.18006	1101	Inland - Natural - Lake/Pond	11.38	0910035308120025		Y	M

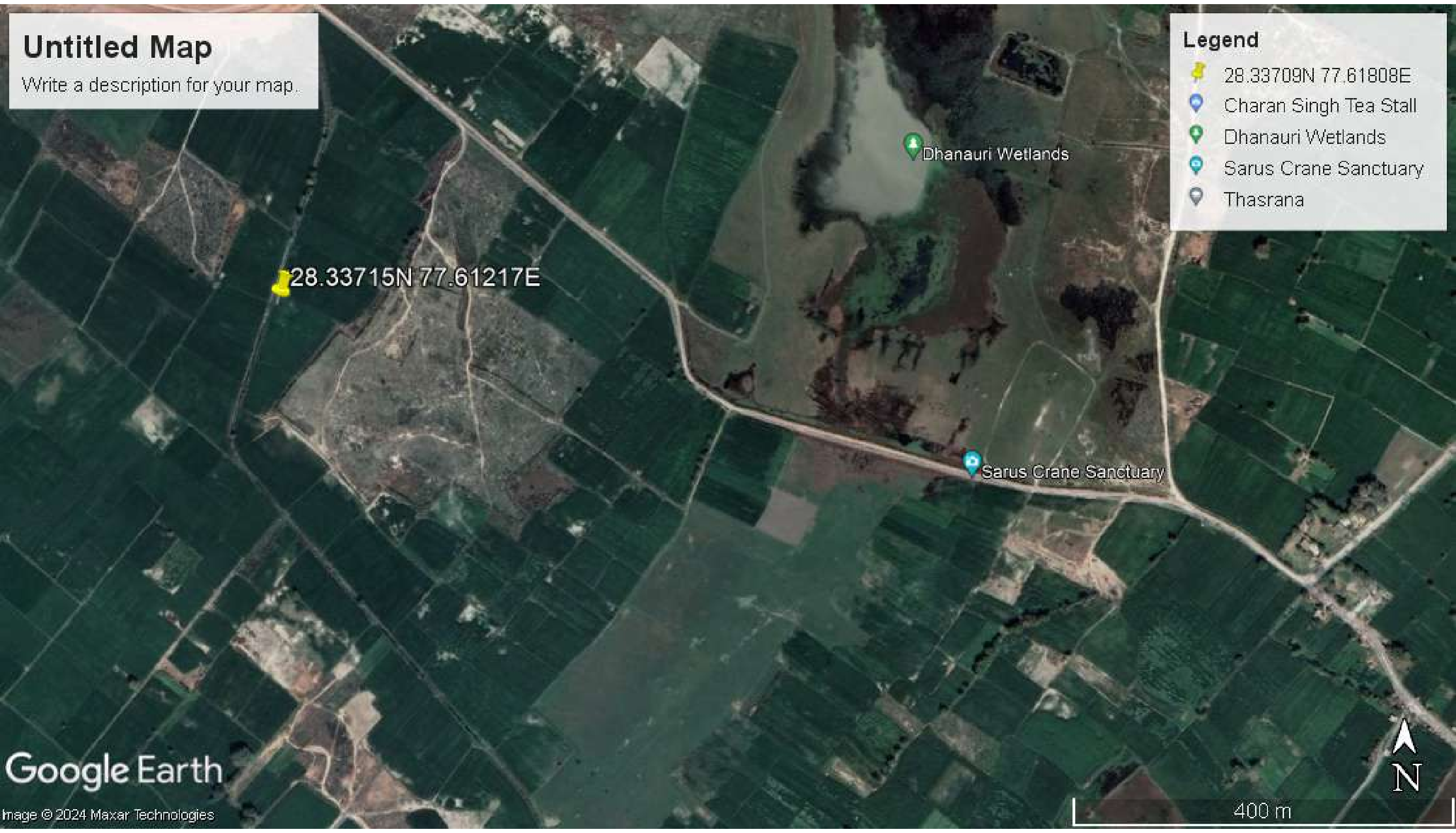
Untitled Map
Write a description for your map.
Legend
28.33709N 77.61808E
Charan Singh Tea Stall
Dhanauri Wetlands
Sarus Crane Sanctuary
Thasrana
Dhanauri Wetlands
28.33715N 77.61217E
Sarus Crane Sanctuary
Google Earth
Image © 2024 Maxar Technologies
400 m
N

Untitled Map
Write a description for your map.
Legend
28.33709N 77.61808E
Charan Singh Tea Stall
Dhanauri Wetlands
Sarus Crane Sanctuary
Thasrana
Charan Singh Tea Stall
Dhanauri Wetlands
28.33709N 77.61808E
Thasrana
Sarus Crane Sanctuary
Google Earth
Image © 2024 Maxar Technologies
500 m
N

संलग्नक - 03

dfonoida@gmail.com
ई–मेल के माध्यम से

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नौएडा।
पत्रांकः 3052 /35–1, दिनॉक गौतमबुद्धनगर 08 –01–2024।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएड़ा

विषयः– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 630/2023 श्री आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली का पारित आदेश दिनॉक 20–11–2023।
इस कार्यालय का पत्रॉक 2418/35–1 दिनॉक 02–12–2023।

महोदय,

कृपया मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा धनौरी वैटलेण्ड पर पारित आदेश के कम में उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची एवं मूल्यांकन (national wetland inventory and assessment) के बिन्दु संख्या 17173 एवं 17174 पर दर्ज वैटलेण्ड क्षेत्र का एरिया 97.97 हैक्टेयर आ रहा है, परन्तु सूचना वर्तमान दिवस तक अप्राप्त है।

तद्नुसार इसको संशोधित करने के लिए सम्बन्धितों को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण कराया जा सकें। उक्त वाद में मा0न्यायालय में अग्रिम तिथि 22–01–2024 निर्धारित है। आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 3052 /दिनॉकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1:– प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय, वन्य जीव उ0प्र0लखनऊ।
2:– मुख्य वन संरक्षक ईको विकास/सदस्य सचिव उ0प्र0राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ।
3:– श्री भवरपाल सिंह जादोन एडवोकेट, 121 न्यू लायर चैम्बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया नई दिल्ली को सूचनार्थ ए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 3052 /दिनॉकित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी,गौतमबुद्धनगर महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 3052 /दिनॉकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1:– मुख्य वन संरक्षक कोर्ट केस उ0प्र0लखनऊ।
2:– मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0मेरठ।
3:– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

संलग्नक (04)

https://sad.upeoffice.gov.in/eFile/?x=BGBRSfIlVtlpUbmPuKVjR...

File No.81-4099/232/2023-04 ,

1436772/2023

संख्या-1309/81-4-2023

प्रेषक

ओम प्रकाश,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।

2- मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर 2023

विषय:- यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-16 में स्थित धनौरी जल निकाय के रामसर साईट घोषित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के पत्र संख्या-85/ए/26-11(यू0पी0 SWA)-27/2019 दिनांक 20.10.2023 का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अतः इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस-वे आद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 09.06.2022 में उल्लेख किया गया है कि धनौरी वेटलैण्ड उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित महायोजना-2031 के सेक्टर-16 के अन्तर्गत पडता है। महायोजना-2031 के अनुसार धनौरी वेटलैण्ड का क्षेत्र 16.89 हे0 तथा इस वेटलैण्ड के चारो ओर लगभग 38.80 हे0 क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में नियोजित है। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-16 के आवासीय भू- उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डो का नियोजन कर स्कीम के माध्यम से भूखण्डो का आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित किये जाने के कतिथ प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शायी गयी धनौरी वेटलैण्ड की वाउन्ड्री को प्राधिकरण के सेक्टर-16 के ले-आउट से टेन्टेटिव सूपर इम्पोज करने पर यह तथ्य सामने कि प्रस्तावित धनौरी वेटलैण्ड की वाउण्ड्री से सेक्टर-16 में नियोजित व आवंटित उपरोक्त आवासीय भू-खण्ड प्रभावित हो रहे है, जिस कारण उक्त स्थल को रामसर साइट हेतु दर्शित बाउण्ड्री के सम्बन्ध में अनापित्त प्रदान नही की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि धनौरी वेटलैण्ड से सम्बन्धित एक प्रकरण संख्या-630/223 आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष विचाराधीन है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-630/223 आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

Digitally Signed by ओम प्रकाश
Date: 29-11-2023 16:24:36
Reason: Approved

भवदीय
(ओम प्रकाश)
अनु सचिव

[handwritten initials] 30/11/23